न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः– **रकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)**
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक,खाता तकसीम
नम्बर मुकदमा – 12/2024 **निर्णय दिनांकः–** 22.03.2024

गुरकिरत सिह पुत्र परविन्द्र सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 शाखा प्रबन्धक ऑरियन्टल बैक ऑफ कार्मस शाखा हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी व प्रति स. 1 एक ही परिवार के सदस्य है।जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।वादी के पिता प्रति स. 1 परविन्द्र सिह के नाम चक 2 एस.टी.पी. खाता स. 73/39 खाता परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह ज.स. 2070–73 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।उक्त चक के उक्त खाता नकल जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। चक 2 एस.टी.पी. खाता स. 73/39 खाता परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह ज.स. 2070–73 में वादी के पिता प्रति स. 1 के नाम दर्ज कुल 6.072 है0 हमारी जद्दी जायदाद है। जिसमें घरू बंटवारा में मुझ वादी के हिस्सा में 2.024 है0 आराजी आई है।जो कि मौका पर मुझ वादी के ही कब्जाकाश्त में है।इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादी प्राप्त करना चाहता है। चक 2 एस.टी.पी. खाता स. 73/39 खाता परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह ज.स. 2070–73 में वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से लिपीकीय त्रुटी [illegible] जसविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह दर्ज हो गया है। जबकि उनका सही नाम [illegible]विन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. [illegible] के आधार कार्ड मे,.प्रति स. 1 के आधार कार्ड में , प्रति स. 1 के ड्राईवींग लाई[illegible] में दर्ज चला आ रहा है। अतः उक्त चक 2 एस.टी.पी. खाता स. 73/39 खाता परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह ज.स. 2070–73 जमाबन्दी दुरूस्त करवा [illegible] के पिता का नाम परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया के स्थान पर परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दर्ज करवाने का वादी अधिकारी एवं दावेदार है।दावा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.04.26 11:27:23 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी व प्रति स. 1 ने आपस मे घरू विभाजन कर रखा है। जिसके अनुसार वादी के हिस्सा में निम्नानुसार आराजी आई है:–

वादी गुरकिरत सिह पुत्र परविन्द्र सिहका हिस्सा:–

चक 2 एस.टी.पी. खाता स. 73/39

187/119	26	19–20–21–22–23/.253प्र = 1.265 है0
187/120	33	6/1/.228 6/2/.025 गै.मु.रास्ता
		22/.253 23/.253 = 0.759 है0

वादी दावा की दफा 6 के अनुसार काबिज होकर काशत करते चला आ रहा है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन आराजी में वादी के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण तथा उक्त आराजी में वादी का नाम सांझा खाता में दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता का नाम दुरूस्त करवा परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा . हरिपुरा तह. संगरिया के स्थान पर परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दर्ज करवा उक्त आराजी का वादी को दावा की दफा 6 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान ले तथा वादी का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम करवा देवे। तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही वाद कारण है।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये।प्रति स. 1 की ओर से श्री गुरमीत सिह कलसी ने वकालतनामा मय सहमति का जवाब दावा पेश किया।प्रति स. 2 की तलबी जरिये साधारण सम्मन होने पर इनके हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।प्रति स. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। साक्ष्यं वादी में वादी गुरकिरत सिह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि प्रतिस. 1 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया है। चक 2 एस. टी.पी. खाता स. 73/39 खाता परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह ज.स. 2070–73 में 2.024 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः इस खाता से प्रति स. 1 परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह का 2.024 है0 हिस्सा कम किया जाकर उक्त खाता की शेष 4.048 है0 आराजी बदस्तुर प्रति स. 1 परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह के नाम दर्ज किया जावे व वादी का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कामय किया जावे । चक 2 एस.टी.पी. खाता स. 73/39 खाता परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह ज.स. 2070–73 में वादी के पिता का नाम दुरूस्त कर परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तंह. संगरिया के स्थान पर परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दुरूस्त किया जावे।अभिभाषक प्रतिवादी स.1 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 2 एस.टी.पी. खाता स. 73/39 खाता परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह ज.स. 2070–73 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद

Signature Not V
Digitally signed by
Meena
Date: 2024.04.26
Reason: SelfAtteste

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 2 एस.टी.पी. खाता स. 73/39 खाता परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह ज. स. 2070–73 में 2.024 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः इस खाता से प्रति स. 1 परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह का 2.024 है0 हिस्सा कम किया जाकर उक्त खाता की शेष 4.048 है0 आराजी बदस्तुर प्रति स. 1 परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह के नाम दर्ज किया जावे व वादी का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कामय किया जावे । चक 2 एस.टी.पी. खाता स. 73/39 खाता परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह ज.स. 2070–73 में वादी के पिता प्रति स. 1 का नाम दुरूस्त कर परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया के स्थान पर परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दुरूस्त किया जावे।

निज X मुब्लिक X बाबत X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक X को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 22.03.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not V
Digitally signed by
Meena
Date: 2024.04.26 1
Reason: SelfAttest

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

गुरकिरत सिह पुत्र परविन्द्र सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 शाखा प्रबन्धक ऑरियन्टल बैक ऑफ कार्मस शाखा हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1

मु. स . 12/2024 दावा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादी व श्री गुरमीत सिह कलसी एड. प्रति स. 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 2 एस.टी.पी. खाता स. 73/39 खाता परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह ज.स. 2070–73 में 2.024 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः इस खाता से प्रति स. 1 परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह का 2.024 है0 हिस्सा कम किया जाकर उक्त खाता की शेष 4.048 है0 आराजी बदस्तुर प्रति स. 1 परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह के नाम दर्ज किया जावे व वादी का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कामय किया जावे । चक 2 एस.टी. पी. खाता स. 73/39 खाता परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह ज.स. 2070–73 में वादी के पिता प्रति स. 1 का नाम दुरूस्त कर परविन्द्र सिह उर्फ जसविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया के स्थान पर परविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दुरूस्त किया जावे।दावा की दफा 6 निम्नप्रकार से हैः–

ए. वादी गुरकिरत सिह पुत्र परविन्द्र सिह का हिस्साः–

चक 2 एस.टी.पी. खाता स. 73/39

187/119	26	19–20–21–22–23/.253प्र	= 1.265 है0
187/120	33	6/1/.228 6/2/.025 गै.मु.रास्ता	
		22/.253 23/.253	= 0.759 है0

निज.......X.......... मुब्लिक.......X......... बाबत......[illegible]...... खर्चा [illegible]
मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूली [illegible]
.... को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 22.3.[illegible]............
को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो [illegible] डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku[illegible] Meena
Date: 2024.04.26 11:27:23 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया